

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A

प्रलिस के लयः

संवधन पीठ, भारत का मुख्य न्यायाधीश, नागरकता अधनलनलम, 1955, असम समझौता, नागरकता

मेन्स के लयः

भारतीय नागरकता की प्राप्ता और नरधरण, नागरकता अधनलनलम, 1955 में संशोधन

स्रोत: द हद्वि

चरचा में क्यौं?

हाल ही में **भारत के मुख्य न्यायाधीश** के नेतृत्व में एक संवधन पीठ द्वारा **नागरकता अधनलनलम, 1955** की धारा 6A की संवधानकता को चुनौती देने वाली वभनलन याचकलओ पर सुनवाई शुरू की गई ।

- संवधन पीठ ने स्पष्ट कया है कवलह मातर धारा 6A की वैधता की जाँच करेगी, न कल असम राष्ट्रीय नागरकता रजस्रटर (NRC) की ।

नागरकता अधनलनलम, 1955 की धारा 6A:

पृष्ठभूमलः

- वर्ष 1985 के असम समझौते के बाद नागरकता (संशोधन) अधनलनलम, 1985 के हस्रसे के रूप में धारा 6A को अधनलनलमल कया गया था ।
 - असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओ के बीच एक त्रपकषीय समझौता था, जसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासयों की घुसपैठ को रोकना करना था ।
- वर्ष 1985 में हस्रताक्षरत असम समझौते द्वारा वशेष रूप से असम के लयल वर्ष 1955 के नागरकता अधनलनलम में धारा 6A को शामिल कया गया था ।
 - यह प्रावधान वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्त युद्ध से पूरव बड़े पैमाने पर प्रवासन के मुद्दे का समाधान करता है । यह वशेष रूप से 25 मार्च, 1971 (बांग्लादेश का नरमाण) के बाद असम में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों का पता लगाने तथा उनका नरवासन अनवलर्य करता है ।
 - धारा 6A इस महत्त्वपूरण अवधके दौरान असम के समक्ष वशषलट ऐतहासकल और जनसांख्यकीय चुनौतयों को संबोधतल करती है ।

प्रावधान एवं नहलतलरथः

- धारा 6A ने असम के लयल एक वशष प्रावधान कया जसके द्वारा 1 जनवरी, 1966 से पहले बांग्लादेश से आए भारतीय मूल के वयक्तयों को उस तथलके अनुसार भारत का नागरकल माना जाता था ।
- भारतीय मूल के वयक्तलओ 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के मध्य असम आए थे और जनके वदलशी होने का पता चला था, उन्हें अपना पंजीकरण कराना आवश्यक था तथा कुछ शर्तों के अधीन 10 साल के नवलस के बाद उन्हें नागरकता प्रदान की गई थी ।
- 25 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले वयक्तयों का पता लगाया जाना था और कानून के अनुसार उन्हें नरवासतल कया जाना था ।

चुनौतयलँ:

संवधानकल वैधता:

अनुच्छेद 6:

- याचकलकर्तलाओ का तरक है कलधारा 6A संवधन के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन है ।
- भारतीय संवधन का अनुच्छेद 6 वभलजन के दौरान पाकस्रतान से भारत आए लोगों की नागरकता से संबधतल है ।
- इस अनुच्छेद में कहा गया है कलओ कोई भी 19 जुलाई, 1949 से पहले भारत आया, वह स्वतः ही भारतीय नागरकल बन जाएगा यदल उसके माता-पतल या दादा-दादी में से कसलसी एक का जन्म भारत में हुआ हो ।

2. जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्रध्वज बन सकता है।
3. जिस वदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/section-6a-of-the-citizenship-act-1955>

